कार्यालय अधिशासी अभियन्ता,
प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग, रानीखेत

Ph. No. 05966-220679 Fax No. 05966-220679 *E-mail – eepdrani@yahoo.com*

पत्रांक 734 / 36सी. दिनांक रानीखेत मार्च 03 ,2023

सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी,
अल्मोड़ा वन प्रभाग,
अल्मोड़ा।

विषय :– जनपद अल्मोड़ा के विधानसभा क्षेत्र रानीखेत में बिल्लेख से अम्बेडकर ग्राम गैरा तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 1.68 है0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन

सन्दर्भ :– भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय का पत्रांक 8बी. / यू.सी.पी. / 06 / 05 / 2023 / एफ.सी. / 1538 दिनांक 09.02.2023।

महोदय,

उपरोक्त विषय के क्रम में अवगत कराना है कि प्रस्ताव में लगाई हुई आपत्तियों का निराकरण कर प्रस्ताव पुनः आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित किया जा रहा है।

क्र. सं.	आपत्ति	निराकरण
1	2	3
1.	The road existing below the targeted village has not been worked out as an alternate aligment.	लक्षित गांव गैरा से 228 मी0 नीचे रीची बिल्लेख भुजान मोटर मार्ग निर्मित है। उक्त मोटर मार्ग से लक्षित ग्राम गैरा को जोडने हेतु न्यूनतम 5.00 किमी. लम्बाई में मोटर मार्ग निर्माण की आवश्यकता है। इसके अतिरिक्त vertical ऊचाई काफी अधिक होने से 07 हेयर पिन बैण्ड की आवश्यकता होगी, जिससे स्थल पर भूमि धसाव की सम्भावनाओं को देखते हुए इस वैकल्पिक समरेखण पर विचार नहीं किया गया।
2.	The road width is proposed as 7 m despite the village being isolated and having a small population. The village can be connected with the road having width of 3 to 4m. Hence the state govt. is requested to do the necessary amendments in road width.	लो0नि0वि0 में प्रचलित विशिष्टियों एवं मानको के अनुसार एकल मार्ग (Single Lane) निर्माण से मार्ग की न्यूनतम चौड़ाई 5.95 मी0 निर्धारित है। इसके अतिरिक्त मोड़ो पर सड़क की चौड़ाई 0.60 मी0 से 0.90 मी0 अतिरिक्त रखे जाने का प्राविधान भी मानको में निर्धारित है, जिस कारण न्यूनतम 7.00 मी0 चौड़ाई में वन भूमि हस्तान्तरण का प्रस्ताव गठित किया गया है।
3.	State Govt. is required to submit the deatials of the population of the village to be connected.	इस मोटर मार्ग के निर्माण से ग्राम गैरा की कुल आबादी 89 सड़क मार्ग से संयोजित होगी। इसके साथ–साथ ग्राम दयालेख आबादी 175, ग्राम मल्ला सीमा आबादी 58 तथा ग्राम उणी तोक तल्ला गैरा आबादी 216 भी आंशिक रूप से लाभान्वित होगी।

अधिशासी अभियन्ता,
प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग,
रानीखेत।

24-3-2023

O/C